

न्यायालय तहसीलदार राजाखेडा (धौलपुर)

पत्रावली सं. 34/17

निर्णय दिनांक 18.3.17

रिपोर्ट पटवारी हल्का अण्वापुरी द्वारा प्रस्तुत की गई। प्रकरण राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर होकर अतिक्रमी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 27.7.17 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। आवाज लगवाई गई गैर सायल उपस्थित / अनुपस्थित रहा सक्षिप्त में विवरण निम्नप्रकार है कि पटवारी हल्का अण्वापुरी द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि गैर सायल उमरा पुत्र राजपूरी कौम राजपूरी निवासी तहसील राजाखेडा ने आराजी ख0न0 1428/733 किस्म राजपूरी रकबा 48X48 बांके ग्राम अण्वापुरी पर पकटा कान की अतिक्रमण कर लिया है प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को जरिये नोटिस से तलब किया गया। गैर सायल उपस्थित/ अनुपस्थित रहा। कोई सबूत व साक्ष्य पेश नहीं किया गया। तत्पश्चात रिपोर्ट पटवारी हल्का को अवलोकन किया तो पाया गया कि अतिचारी का अतिचार सिद्ध होता है।

अतः राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिचारी को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है शरह लगान 0.50 की 50 गुनी से शास्ति राशि 20/- रूपये आरोपित की जाती है। भू0 अभिलेख निरीक्षक/ पटवारी हल्का को लिखा जावे। टी0आर0ए0 का मांग कायमी हेतु लिखा जाकर पत्रावली फौसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

दिनांक 20/3/17
 पत्र सं. 103/17
 तहसीलदार
 राजाखेडा

राजपूरी
 तहसीलदार
 राजाखेडा